# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

**पत्रावली संख्याः— 10/2016/निगरानी**

1 गणपतराम पुत्र गोपीराम
2 जगदीश प्रसाद पुत्र अर्जुनसिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भैरूपुरा पंचायत समिति धोद जिला सीकर

**निगरानीकर्तागण**

**बनाम**

1 ग्राम पंचायत भैरूपुरा जरिये सरपंच
2 बिड़दाराम पुत्र सेवाराम जाति जाट निवासी भैरूपुरा पंचायत समिति धोद जिला सीकर

**गैर निगरानीकर्तागण**

**निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति धोद के निर्णय दिनांक 25.04.2016 प्रस्ताव संख्या 4/16 बैठक दिनांक 25.04.2016 के तहत पट्टा दिनांक 06.07.2013 संकल्प संख्या 2 ग्राम पंचायत भैरूपुरा**

वकील प्रार्थी श्री हरीश शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री प्रभातीलाल

**निर्णय** **दिनांकः—31.07.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 बिड़दाराम ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भैरूपुरा से साज करके पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा जरिये संकल्प संख्या 2 दिनांक 06.07.2013 बिना बंटवारा हुए अकेले अपने हक में बनवा लिया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत भैरूपुरा ने बिना विधि के प्रावधानों की पालना किये ही दिनांक 06.07.2013 को गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में पट्टा बना दिया। उक्त अवैध पट्टे को खारिज करने बाबत प्रार्थी ने अपील स्थाई समिति पंचायत समिति धोद जिला सीकर के यहां प्रस्तुत की, जिसका निर्णय दिनांक 25.04.2016 को जरिये प्रस्ताव संख्या 4 किया जाकर अपीलान्ट/निगरानीकर्तागण की अपील खारिज की जाकर प्रस्ताव संख्या 2 दिनाकिंत 06.07.2013 को दिया हुआ पट्टा बहाल रखा गया। कथित विवादित पट्टाशुदा भूमि जिसको पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शित किया गया है। उक्त भूखण्ड अपीलार्थी/निगरानीकर्तागण का शामलाती भूखण्ड है, जिसका आज तक लिखित बंटवारा नही हुआ। विवादित भूखण्ड का बिना बंटवारे के ही ग्राम पंचायत भैरूराम गैर निगरानीकर्तागण संख्या 1 ने बिना विधिक प्रकिया की पालना किये ही पट्टा जारी कर दिया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति ने अपने आलौच्य निर्णय दिनांकित 25.04.2016 में कथित मौका रिपोर्ट दिनांकित 30.12.2015 का सहारा लिया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट बिना निगरानीकर्तागण अपीलान्ट की उपस्थिति में एक तरफा रूप से बनाई गई है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। कथित मौका रिपोर्ट

Web Copy - Not Official

जाने योग्य नही है। पट्टाधारक/गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 बिड़दाराम ने कथित पट्टा बनवाने का आवेदन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के यहां पेश किया उक्त आवेदन/प्रार्थना पत्र में भी "हमारा एक पुश्तैनी" बताया है। पुश्तैनी का अभिप्राय जो सम्पदा विरासत मे प्राप्त होती है, पिढी दर पिढी प्राप्त होती हैं उसे कहते है। कथित पट्टा वाला भूखण्ड पुश्तैनी शामलाती भूखण्ड है जिसका पट्टा अकेले बिड़दाराम गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के नाम जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति ने भी अपने आलौच्य आदेश दिनांकित 25.04.2016 में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत भैरूपुरा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया का पालन नही किया। नियमानुसार पट्टा आवेदन पेश होने पर उसकी पूरी मिसल बनती है पट्टा मिसल नम्बरों के आधार पर जारी किया जाता है। मिसल मे ही पूर्ण कार्यवाही सम्पादित होती है। कथित पट्टा जारी करते समय कोई मिसल तैयार नही की गई। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत भैरूपुरा की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांकित 06.07.2013 मे रेस्पोडेन्ट/गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 बिड़दाराम पुत्र सेवाराम के हक में जारी कथित पट्टे का कोई उल्लेख तक नही है कि कितने नम्बर के प्रस्ताव के जरिये उक्त पट्टा जारी किया गया है। आलौच्य निर्णय दिनांकित 25.04.2016 पारित करने से पूर्व माननीय अदालत मातहत प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति धोद ने निगरानीकर्तागण को कोई सुनवाई तक का मौका नही दिया। रिपोर्ट मौका भी एकतरफा ही बनवाई गयी। अपीलान्ट को कानूनी नजीरे तक पेश करने का मौका नही दिया। उक्त निर्णय बाला–बाला एकतरफा पारित किया है इस कारण आदेश दिनांकित 25.04.2016 कतई स्थिर रहने योग्य नही है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति धोद का निर्णय प्रस्ताव संख्या 4/2016 दिनांकित 25.04.2016 अपास्त फरमाया जावे तथा संकल्प संख्या 2 द्वारा जारीशुदा पट्टा दिनांकित 06.07.2013 जो ग्राम पंचायत भैरूपुरा द्वारा जारी किया गया हैं खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा पूर्वोक्त कथनों की पुनरावृति करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है वंही विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का कथन है कि विवादित स्थान पर गैरनिगरानीकर्ता का पुश्तैनी मकान है एवं काबिज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत भैरूपुरा द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया गया है। न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति धोद द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय स्थिर रहने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर प्रार्थी बिड़दाराम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भैरूपुरा के समक्ष पट्टा चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन कब प्रस्तुत किया गया इस सम्बंध में आवेदन पर दिनांक अंकित नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत भैरूपुरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 06.03.2013 में आवेदन शामिल मिसल किया जाकर आवेदन के सम्बंध में पंचगण नियुक्त किये जाकर मौका निरीक्षण रिपोर्ट हेतु आगामी बैठक में पेश होने बाबत अंकित किया हुआ है। प्रथम आदेशिका दिनांक 06.03.2013 को लिखी जाने के पश्चात् उक्त पत्रावली दुबारा कोरम के समक्ष पेश होने पर आदेशिका में दिनांक अंकित नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण जो कि टाईपशुदा प्रपत्र में तैयार किया गया है। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहे गये पुश्तैनी भूखण्ड की लम्बाई–चौड़ाई, दिशा एवं पड़ौस आदि कुछ अंकित नहीं किया गया है। उक्त टाईपशुदा प्रपत्र में निचे पंचगण के हस्ताक्षर करवाये गये है। सरपंच ग्राम पंचायत भैरूपुरा द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गौर नहीं किया गया है एव ना ही निर्णय में इस सम्बंध में कहीं कोई उल्लेख किया गया है। केवल मात्र सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति धोद द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 25.04.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति धोद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भैरूपुरा द्वारा अप्रार्थी बिड़दाराम के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की अपनायी गई प्रकिया की गहनता से जांच एवं विवेचना करते हुए उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/19

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official